क्रम-संख्या—223

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल0
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 11 नवम्बर, 2020
कार्तिक 20, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 3/4/ID /2020/SDR(Council-UP) **Dated : 10th November, 2020**

ORDER

Whereas, the Election Commission has been following the policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under section 62 of the Representation of the People Act, 1951 more effective; and

2. Whereas, keeping in view the provisions of Rules 35(3) and 37(2)(b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to House of the People and Legislative Assemblies shall produce their Electors Photo Identity Card or other specified documents at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and

3. Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against impersonation are equally applicable at elections from Graduates' and Teachers' Constituencies, and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they would have been supplied with Electors Photo Identity Card as electors in their respective Assembly Constituencies;

4. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors at the current biennial election to the Uttar Pradesh Legislative Council from Lucknow Division Graduates', Varanasi Division Graduates, Agra Division Graduates, Meerut Division Graduates, Allahabad-Jhansi Division Graduates', Lucknow Division Teachers', Varanasi Division Teachers', Agra Division Teachers, Meerut Division Teachers', Bareilly-Moradabad Division Teachers', and Gorakhpur-Faizabad Division Teachers' Constituencies', who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current biennial election to the Uttar Pradesh Legislative Council from the said Constituencies, notified on 5th November, 2020 (Thursday). However, those electors, who are

not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity :–

i. Aadhaar Card,

ii. Driving License,

iii. PAN Card,

iv. Indian Passport,

v. Service Identity Card issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses,

vi. Official Identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs,

vii. Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Teachers'/Graduates' Constituency may be employed,

viii. Certificate of Degree/Diploma issued by University, in original,

ix. Certificate of Physical Handicap issued by Competent Authority, in original.

Yours faithfully,
NARENDRA N. BUTOLIA,
Sr. Pr. Secretary,

———

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 3/4/आईडी/2020/एसडीआर (परिषद-उ0प्र0) **दिनांक : 10 नवम्बर, 2020**

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के साधन से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण करता आ रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अन्तर्गत वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

2–यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2)(ख) के उपबन्धों के दृष्टिगत आयोग ये निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केन्द्र पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इनकार करने पर उनको मतपत्र दिए जाने या मत देने की अनुमति दिए जाने से मना किया जा सकता है; और

3–यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से सम्बन्धित उक्त प्रावधान, 'स्नातक' और 'शिक्षक' निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और चूँकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक होते हैं, इसलिए उन्हें उनके सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराए गए होंगे;

4–अतः, अब, सभी सुसंगत कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि लखनऊ सम्भाग स्नातक, वाराणसी सम्भाग स्नातक, आगरा सम्भाग

स्नातक, मेरठ सम्भाग स्नातक, इलाहाबाद–झाँसी सम्भाग स्नातक, लखनऊ सम्भाग शिक्षक, वाराणसी सम्भाग शिक्षक, आगरा सम्भाग शिक्षक, मेरठ सम्भाग शिक्षक, बरेली–मुरादाबाद सम्भाग शिक्षक और गोरखपुर–फैजाबाद सम्भाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश विधान परिषद से चालू द्विवार्षिक निर्वाचन में सभी निर्वाचकों, जिन्हें एपिक जारी किया गया है, को 5 नवम्बर, 2020 (गुरूवार) को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चालू द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(i) आधार कार्ड,

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,

(iii) पैन कार्ड,

(iv) भारतीय पासपोर्ट,

(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,

(vi) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद स्दस्यों को जारी किए गए अधिकारिक पहचान-पत्र,

(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र,

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र, मूल रूप में,

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, मूल रूप में।

भवदीय,
नरेन्द्र ना0 बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

———

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 368 राजपत्र–2020–(849)–588 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 74 सा0 निर्वाचन–(हि0)–2020–(850)–150 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।